

**विस्तृत सूचना**

विज्ञापन संख्या-73/2014 के अन्तर्गत बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवम् अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राचार्य, वाणिज्य के पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हित/औपबन्धिक रूप से अर्हित उम्मीदवारों में से नियमानुसार रिक्तियों के पाँच गुणा उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार देय अधिभार अंकों के आधार पर तैयार मेधा सूची से आरक्षण कोटिवार एवं मेधाक्रमानुसार साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया है।

- विज्ञापन संख्या-73/2014 के अन्तर्गत अर्हित उम्मीदवारों में से नियमानुसार एवं मेधाक्रमानुसार चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिनांक-18.07.2018 (बुधवार) से दो पालियों में प्रारंभ होगा। विस्तृत साक्षात्कार कार्यक्रम एवं आवश्यक निर्देश आयोग के वेबसाईट पर देखा जा सकता है।
- साक्षात्कार के लिए आमंत्रित अभ्यर्थियों का आरक्षण कोटिवार Cut-off अधिभार अंक निम्न प्रकार हैं:-

Sl.No	Category	Cut-off
1.	GEN(01)	61.15
2.	S.C (02)	42.15
3.	EBC (04)	41.30
4.	BC(5)	52.35
5.	B.L.L(06)	44.40
6.	Additional Disabled (VI)	49.40
7.	Additional Disabled (OH)	44.80

वैसे अभ्यर्थी जिन्हें उक्त Cut-off Marks के समतुल्य अथवा उससे अधिक अंक होने का दावा हो, तथा जिन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है, से अपनी अधिभार अंकों की गणना तालिका के साथ अपना आपत्ति अभ्यावेदन मात्र e-mail: [bpscpat-bih@nic.in](mailto:bpscpat-bih@nic.in) से दिनांक-16.07.2018 तक भेज सकते हैं। दिनांक-16.07.2018 के बाद प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

- वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने Ph.D/M.Phil with UGC Regulation 2009 का दावा किया है, उन्हें मुख्य रूप निदेश दिया जाता है कि वे अपने-अपने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से निर्गत निम्नांकित प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करेंगे। अन्य पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं किये जायेंगे।
  - Pre Ph.D./Course work का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र ।
  - Ph.D./M.Phil के निबंधन की तिथि एवं संख्या से संबंधित प्रमाण पत्र।
  - Ph.D/M.Phil कितने एवं कौन-कौन Criteria से उत्तीर्ण हैं, से सम्बंधित प्रमाणपत्र। मात्र Criteria की संख्या लिखने से सम्बंधित प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जायेगा।साक्षात्कार की तिथि को यदि उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उनके Ph.D/M.Phil की उपाधि को without UGC Regulation 2009 के अंतर्गत माना जायेगा और तदनुसार ही उन्हें अधिभार अंक दिया जायेगा। जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता प्रथम स्तर पर Ph.D with UGC Regulation 2009 के आधार पर स्वीकृत की गयी है, वे अभ्यर्थी No NET, Ph.D without UGC Regulation 2009 के कारण अनर्हित समझे जायेंगे और उसकी जबाबदेही सम्बंधित अभ्यर्थी की होगी।
- यह स्पष्ट किया जाता है कि साक्षात्कार के लिए आमंत्रित सभी अभ्यर्थियों की अर्हता पूर्णतः औपबन्धिक है। उनकी अर्हता पर यथासमय समीक्षा कर यथोचित निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना